# प्रथम सूचना रिपोर्ट

## ( अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता )

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, एसयू उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023 प्र.इ.रि.स 313/23 दिनांक 28/12/23

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धारा 7, पी.सी.एक्ट 1988 (संशोधित 2018)
   (2) अधिनियम भा.द.स. –
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 1142 समय 3:40 P.M.
   (2) अपराध के घटने का दिन बुधवार दिनांक 25.10.2023 समय 01:55 पी.एम से 6.40 पीएम के मध्य।
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 25.10.2023 समय करीब 01:05 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल :
   (1) थाना/यूनिट से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 550 किलोमीटर
   (2) पता – कार्यालय तहसीलदार, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर।
   ..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

**<u>परिवादी</u>**

(1) नाम : – श्री मुरारीलाल बम्बूरियां
(2) पिता का नाम : – श्री लुम्बाराम जी गमेती
(3) आयु : – 56 वर्ष
(4) राष्ट्रीयता : –भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह.....
(6) व्यवसाय : – व्यवसाय
(7) पता : – ग्राम माण्डवा, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर।

**<u>सहपरिवादी</u>**

(1) नाम : – श्री कमलेश कुमार

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
   श्री प्रकाश कुमार पटेल पुत्र श्री हंजारीराम उम्र 27 वर्ष, निवासी समदडी, तहसील सिवाना, जिला बाडमेर हाल तहसीलदार, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे )

| कम. सं. | सम्पत्ति का प्रकार | अनुमानित मूल्य | वस्तु स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | भारतीय चलन मुद्रा | **1,00,000 रूपये** | |

आरोपी श्री प्रकाश कुमार पटेल, तहसीलदार, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर द्वारा परिवादी श्री मुरारीलाल बम्बूरियां की जेसीबी नम्बर आरजे 27 ईए 3740 एवं आरजे 27 ईए 2995 जो कि दिनांक 24.10.2023 को माण्डवा गांव के पास कुआं खोद रही थी, को अवैध खुदाई के आरोप में पकडकर पुलिस थाना माण्डवा में खडी करवाकर पुनः जेसीबी मशीनों को छोडने का आदेश करने एवं आईन्दा काम में रूकावट नहीं डालने की एवज में परिवादी से 1,50,000 रूपये रिश्वत की मांग करने पर परिवादी द्वारा निवेदन करने पर आरोपी द्वारा 1,00,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 1,00,000 रूपये
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या ( अगर हो तो )
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ( अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे )



29

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 25.10.2023 को श्री उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि. ब्यूरो एसयू उदयपुर द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके समक्ष बैठे दो व्यक्ति परिवादी श्री मुरारीलाल पुत्र श्री लुम्बाराम जी जाति गमेती, उम्र 56 वर्ष, निवासी माण्डवा, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर एवं सहपरिवादी श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री सोहनलाल जी निवासी उदयपुर के रूप में परिचय करवाया जाकर परिवादी श्री मुरारीलाल द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा प्रार्थना पत्र दिनांक 25.10.2023 पर मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी मुरारीलाल गमेती एवं सहपरिवादी श्री कमलेश कुमार को अपने कक्ष में लेकर आया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो परिवादी द्वारा अंकित किया गया कि ''उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं मुरारीलाल पुत्र स्व. श्री लुम्बाराम जी जाति गमेती, उम्र 56 वर्ष, निवासी माण्डवा, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर का रहने वाला हुं। मेरे पास मेरी निजी दो जेसीबी मशीने हैं जो अलग-अलग ठेकेदारों के पास काम पर जाती है। कल दिनांक 24.10.2023 को मेरी जेसबी नम्बर आरजे 27 ईए 3740 एवं आरजे 27 ईए 2995 माण्डवा गांव के पास कुंआ खोद रही थी। तभी वहां श्री प्रकाश पटेल, तहसीलदार कोटडा मौके पर गांव माण्डवा में जेसीबी कुंआ खोद रही थी वहां पर आये और कहा कि तुम जेसीबी से अवैध खुदाई कर रहे हो ऐसा कह कर मेरी दोनों जेसीबी मशीनों को थाना माण्डवा में लाकर खडी करवा दी है। अब श्री प्रकाश पटेल तहसीलदार कोटडा मुझसे जेसीबी मशीने थाने से छुडाने एवं आईन्दा जेसीबी मशीनो के काम में रूकावट नहीं डालने की एवज में डेढ लाख रूपये (1,50,000/-) की रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। मैं श्री प्रकाश पटेल तहसीलदार कोटडा को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हुं। रिश्वत लेते हुए श्री प्रकाश पटेल तहसीलदार कोटडा को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना चाहता हुं। मेरी श्री प्रकाश पटेल से पुरानी कोई लेन-देन बाकी नहीं है। ना ही कोई पुरानी दुश्मनी है। उचित कार्यवाही करावे''। परिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में मजीद पुछताछ की तो उसके द्वारा शब्द-ब-शब्द सत्य होकर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया होने संबंधी ताईद की गई। परिवादी से दरियाफ्त की तो परिवादी ने बताया कि उक्त दोनो जेसीबी मेरा चालक श्री जालमाराम एवं श्री जीवाराम चला रहे थे। जेसीबी चालक श्री जालमाराम ने मुझे बताया कि दोनो जेसीबीयां कोटडा तहसीलदार साहब पकड कर ले गये है तथा कहा है कि यदि जेसीबी को छुडवाना है तो जेसीबी मालिक को 1,50,000 लाख रूपये लेकर मेरे ऑफिस भेज देना। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशी मांग एवं लेनदेन का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) में वर्णित अपराध की परिधि में होना पाया जानें पर अग्रिम कार्यवाही हेतु रिश्वत राशी मांग सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया। परिवादी ने बताया कि श्री प्रकाश पटेल, तहसीलदार साहब अभी कार्यालय पर ही उपस्थित होंगे इसलिये आज ही रिश्वत मांग सत्यापन कराया जाना होगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय की अलमारी में रखा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर निकालकर परिवादी श्री मुरारी लाल को ब्यूरो का डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर के संचालन की विधि भलीभांति समझाई गई। श्री प्रदीप भण्डारी कानि. को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री मुरारीलाल से आपस में परिचय कराया गया। परिवादी ने बताया कि मैं अपने साथ मेरी निजी कार से आया हूं। जिस पर श्री प्रदीप भण्डारी कानि को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय नया खाली मेमारी कार्ड किंगस्टन कम्पनी 32 जीबी देकर परिवादी श्री मुरारीलाल एवं सहपरिवादी श्री कमलेश कुमार के साथ जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने की हिदायत देकर परिवादी की कार से कोटडा की ओर रवाना किया गया।

तत्पश्चात् समय करीब 06:40 पीएम श्री प्रदीप भण्डारी कानि. मय ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ एवं परिवादी श्री मुरारीलाल के हमराह ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये श्री प्रदीप भण्डारी कानि ने मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर दिया जिसे मेने अपने पास रखा। परिवादी श्री मुरारीलाल ने बताया कि ''मैं एवं श्री प्रदीप कुमार जी दोनो मेरी कार से एसीबी कार्यालय से रवाना होकर कोटडा पहुचें। कोटडा तहसील कार्यालय के बाहर जाकर श्री प्रदीप जी ने मुझे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चलाकर दिया जिसे मेने मेरे पहने हुए कपडो में छुपाकर रखा तथा मैं एवं मेरा चालक श्री कमलेश कुमार दोनो तहसील कार्यालय में गये जहां बाहर ही श्री प्रकाश पटेल तहसीलदार साहब कोटडा मिले उन्होने मेरे कार चालक श्री कमलेश कुमार को बाहर भेज दिया। इसके बाद मेने तहसीलदार साहब से मेरी जेसीबी मशीने छुडवाने के संबन्ध में वार्ता की तो तहसीलदार साहब ने कहा की मेरे क्वार्टर पर चलो जिस पर हम दोनो कार्यालय के पास ही स्थित उनके सरकारी क्वार्टर पर गये जहां उनसे मेने बात करनी चाही तो उन्होने कहा कि छोटू सिंह बीडीओ साहब को बूलाओ तो मेने छोटू सिंह जी को कॉल किया। इसके बाद मेने तहसीलदार साहब से वार्ता की तो उन्होने मेरी दोनो जेसीबीया थाने से छोडने की एवज में 1.50 लाख रूपये अखबार पर लिखकर की मांग जिस पर मेरे निवेदन करने पर उन्होने 1



20

लाख रूपये लिखकर रिश्वत राशि की मांग की। मेने तहसीलदार साहब से हाथाजोडी की पर उन्होने 1 लाख रूपये से कम रिश्वत राशि लेने पर नही माने। इसके बाद में बाहर आकर कार में बेठे हूए प्रदीप जी से मिला तथा उन्हे यह डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर दिया जिसे उन्होने बंद कर अपने पास रखा। इसके बाद हम वहां से रवाना हो हाजिर आये है। श्री प्रदीप भण्डारी कानि द्वारा भी परिवादी के बताये उक्त तथ्यों की ताईद की गई। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी की जेसीबी मशीने छोडने की एवज में 1 लाख रूपये की मांग करना पाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री मुरारीलाल को संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 1 लाख रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 26.10.2023 को प्रातः 7:00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने तथा गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। कार्यवाही के हालात से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। अग्रीम कार्यवाही हेतु गवाहान की आवश्यकता होने से जरिये फोन अवगत कराया गया।

दिनांक 26.10.2023 को समय करीब 07:00 एएम पर पुर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री मुरारीलाल ब्यूरों एसयू कार्यालय में उपस्थित हुआ। परिवादी ने बताया कि श्री प्रकाश कुमार पटेल तहसीलदार कोटडा को दी जाने वाली रिश्वत राशि 1,00,000 रूपये की व्यवस्था कर अपने साथ लेकर आया हूं। जिस पर परिवादी को कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। कुछ समय बाद पुर्व पाबन्दशुदा दो स्वतंत्र गवाह श्री तुलसी राम पुत्र स्व. श्री भंवरलाल जी सालवी उम्र 41 वर्ष निवासी रेबारियों का गुडा तहसील बडगांव जिला उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर एवं श्री मोहनलाल भील पुत्र स्व. श्री सुन्दर लाल जी उम्र 35 वर्ष निवासी गांव देवाली, गोवर्धनविलास जिला उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर ब्यूरों एसयू कार्यालय में उपस्थित हुए। उपस्थित दोनो गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर मंतव्य से अवगत करा गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह सम्मिलित रहने हेतु दोनों गवाहों से उनकी सहमति चाही गई तो दोनों ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाह का परिवादी से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.10.2023 पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही हो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सत्य होने की पुष्टि की तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। जिस पर उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री मुरारीलाल से आरोपी श्री प्रकाश कुमार पटेल, तहसीलदार कोटडा जिला उदयपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 200 नोट कुल राशि 1,00,000 रूपये (एक लाख रूपये) भारतीय चलन मुद्रा के करेन्सी नोट पेश किये जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित कर प्रस्तुत नोटो का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात उक्त समस्त नोटो पर श्री अजय कुमार कानि. नम्बर 456 से कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित पडी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को निकलवाकर अखबार बिछाकर श्री अजय कुमार कानि से ही उपरोक्त समस्त नोटो के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी की जामातलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मोहनलाल से लिवायी जाकर उक्त नोटों को श्री अजय कुमार कानि से परिवादी के पहने हुए कुर्ते की बायीं जेब में कोई शैः नहीं छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री भारतसिंह कानि से पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पीने का साफ पानी भरवाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री अजय कुमार कानि की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री अजय कुमार कानि से कार्यालय से बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार एवं पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को पुनः श्री अजय कुमार कानि से कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवायी गई। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ

जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर रिश्वती राशि देने का ईशारा करे अथवा मौका मिलने पर अपने मोबाइल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल फोन पर कॉल करने का गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा परिवादी को मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर दिये गये। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं ब्यूरो स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी को डिजीटल टेप रिकार्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो टीम के सदस्यों के मोबाईल फोन गोपनीयता की दृष्टि से स्वीचऑफ करवाये गये। श्री अजय कुमार कानि को कार्यालय में ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा परिवादी गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये।

इसके उपरांत समय करीब 08:55 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री मुरारीलाल, श्री जाबीर खान उप निरीक्षक पुलिस, श्री प्रदीप भण्डारी कानि, श्री भारतसिंह कानि को मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी की कार से आगे - आगे रवाना कर पीछे - पीछे मन् पुलिस निरीक्षक, मय स्वतंत्र गवाहान श्री तुलसीराम सालवी, श्री मोहनलाल भील, श्री चन्द्रकांत हेड कानि,श्री लालसिंह हेड कानि, श्री राजेश कुमार कानि एवं श्री विनोद कुमार वरिष्ठ सहायक मय प्रिन्टर लेपटॉप, ट्रेप बॉक्स एवं आवश्यक संसाधनो के मय प्राईवेट टेक्सी वाहन से कोटडा की तरफ रवाना हो समय करीब 10.55 एएम पर कोटडा कस्बे के पास पहुंचे। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के पास रखा हुआ ब्यूरो का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर रिकॉर्डर परिवादी को दिया जिसे उसने अपने पहने हुए कपडो में छुपाया। तत्पश्चात परिवादी को बाद हिदायत के कार्यालय तहसील कोटडा पर जाने हेतु रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो जाब्ता तहसील कार्यालय के बाहर मुख्य रोड पर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में खडे रहे। तभी कुछ समय बाद परिवादी बिना कोई निर्धारित ईशारा किये तहसील कार्यालय से बाहर आकर मन् पुलिस निरीक्षक के पास पहुंचकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को दिया जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने बंद कर अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि अभी तहसीलदार साहब ऑफिस में नही है तथा पता किया तो फिल्ड में जाना बताया। जिस पर मेने तहसीलदार साहब को कॉल किया तो उन्होने मेरा कॉल नहीं उठाया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी हमराहियान के वहां से रवाना हो अपने अपने वाहनो से कोटडा कस्बे से कुछ दूर गये। परिवादी ने बताया कि तहसीलदार साहब उनके सरकारी क्वार्टर पर मिल सकते है। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता भी उन्होने सरकारी क्वार्टर पर ही की थी। जिस पर समय करीब 11.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को पुनः ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर रिकॉर्डर परिवादी को दिया जिसे उसने अपने पहने हुए कपडो में छुपाया। तत्पश्चात परिवादी को बाद हिदायत के कार्यालय तहसील कोटडा पर जाने हेतु रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो जाब्ता टैक्सी वाहन से परिवादी के पीछे पीछे रवाना हो तहसील कार्यालय के बाहर पहुंच मुख्य रोड पर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में खडे रहे। तभी कुछ समय बाद परिवादी बिना कोई निर्धारित ईशारा किये तहसील कार्यालय से बाहर आकर मन् पुलिस निरीक्षक के पास पहुंचकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को दिया जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने बंदकर अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि मैं तहसील कार्यालय परिसर स्थित तहसीलदार साहब के सरकारी क्वार्टर पर गया वहां पर उनका सर्वेन्ट मिला जिसने बताया कि तहसीलदार साहब किसी काम से अभी कही बाहर गये है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी मुरारीलाल, श्री जाबीर खान उप निरीक्षक, मय स्वतंत्र गवाहान जाब्ता अपने अपने वाहनो से कोटडा से रवाना हो परिवादी के परिचित के निवास स्थान गांव पाथरपाडी पहुंचे। हालात उच्च अधिकारीयों को जरिये फोन अवगत कराये गये।

तत्पश्चात् परिवादी एवं दोनों स्वंतत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 25.10.2023 को परिवादी एवं संदिग्ध आरोपी श्री प्रकाश कुमार पटेल, तहसीलदार कोटडा के मध्य तहसील कार्यालय, कोटडा उदयपुर पर रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन संबधित वार्ता जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त वॉईस रिकार्डर को ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट कर बारी-बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी को सुनाई गई। जिस पर परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा अन्य आवाज संदिग्ध लोकसेवक श्री प्रकाश कुमार पटेल तहसीलदार की होने की ताईद की। जिस पर श्री चन्द्रकांत व्यास हेड0 कानि0 से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के

हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी एवं एक आईओ सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को सीलचिट किया जाकर मार्क ''A'' अंकित किया गया तथा गवाह एवं परिवादीगण के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया। परिवादी ने बताया कि मेने गोपनीय तरीके से पता करवाया है की तहसीलदार साहब अभी तक कार्यालय पर नहीं आये है तथा कहा गये है इसका पता नहीं है। आज कार्यवाही होने की संभवना नहीं है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, श्री जाबीर खान उप निरीक्षक, मय स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो जाब्ता अपने अपने वाहनो से पाथरपाडी कोटडा से ब्यूरो कार्यालय उदयपुर हेतु रवाना हो ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हुए। स्वतंत्र गवाह श्री तुलसीराम सालवी से परिवादी के कुर्ते की जेब में रखी हुई रिश्वत राशि निकलवाकर एक कागज के लिफाफे में रखवाकर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाई गई। ट्रेप बॉक्स चन्द्रकांत हेड कानि से मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी एवं गवाहान को रूखसत दी गई।

दिनांक 10.11.2023 को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 9414267591 से परिवादी श्री मुरारीलाल बम्बुरियां के मोबाईल फोन नम्बर 8107507771 पर कॉल कर संदिग्ध आरोपी श्री प्रकाश कुमार पटेल तहसीलदार कोटडा द्वारा रिश्वत राशि हेतु सम्पर्क करने के बारे में पुछा तो परिवादी ने बताया कि तहसीलदार साहब ने अभी तक रिश्वत राशि के लिये मुझसे सम्पर्क नहीं किया है एवं मुझ डेंगु बुखार हो गया है इसलिये मैं अभी घर पर ही हूं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई कि तहसीलदार द्वारा रिश्वत राशि हेतु सम्पर्क करने पर मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करावें। दिनांक 17.11.2023 को परिवादी श्री मुरारीलाल बम्बूरियां ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होकर बताया कि कुछ दिन पूर्व तहसील कार्यालय के कर्मचारी का मेरे मोबाईल पर फोन आया एवं बताया कि पुलिस थाना माण्डवा से आपकी दोनो जेसीबी मशीनो को तहसीलदार साहब ने छोडने का आदेश दे दिया है आप अपनी जेसीबी मशीनो को थाने से प्राप्त कर ले। जिस पर मेने जेसीबी मशीनों को थाने से छुडवा ली है। अभी विधानसभा चुनाव का समय होने से श्री प्रकाश कुमार पटेल तहसीलदार साहब चुनाव के कार्यो में व्यस्त है तथा चुनाव के पश्चात मुझसे रिश्वत राशि लेने हेतु सम्पर्क कर सकते है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई कि विधानसभा चुनाव के पश्चात् संदिग्ध आरोपी द्वारा सम्पर्क करने पर मन् पुलिस निरीक्षक को सुचित करे। बाद हिदायत परिवादी को रूखसत किया गया।

दिनांक 11.12.2023 को परिवादी श्री मुरारीलाल बम्बूरियां ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हो मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ''मुझ प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.10.2023 को आपके कार्यालय पर उपस्थित होकर श्री प्रकाश पटेल, तहसीलदार तहसील कोटडा के विरूध मेरी जेसीबी मशीनो को जबरन जब्त कर थाने पर खडी करने एवं जेसीबी मशीनो को पुनः छोडने की एवज में 1.50 लाख रिश्वत राशि की मांग करने संबधित शिकायत की थी। जिस पर श्री रतनसिंह राजपुरोहित पुलिस सीआई साहब द्वारा दिनांक 26.10.2023 कार्यवाही की गई किन्तु उस दिन तहसीलदार साहब के तहसील कार्यालय में उपस्थित नहीं होने से कार्यवाही नही की गई। तहसीलदार साहब द्वारा मेरे से जो 1 लाख रूपये रिश्वत की मांग की थी जो उन्हे देने के संबन्ध में मेने उनसे बात करनी चाही किन्तु तहसीलदार साहब मेरे से बात नहीं करना चाह रहे है एवं उनके द्वारा दिनांक 25.10.2023 को मांग की गई 1 लाख रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सम्पर्क भी नहीं कर रहे है तथा ना ही मेरा फोन उठा रहे है। मुझे शंका है कि श्री प्रकाश पटेल तहसीलदार साहब को एसीबी की कार्यवाही की भनक लग गई है एवं अब वो मेरे से उनकी मांग के अनुसार चाही गई रिश्वत राशि 1 लाख रूपये ग्रहण नहीं करेंगे। मैं विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार में व्यस्त होने से कार्यालय में उपस्थित नही हो सका था। आज उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर रहा हूं, श्री प्रकाश पटेल तहसीलदार तहसील कोटडा के विरूध उचित कार्यवाही करावें''। जिस पर परिवादी श्री मुरारीलाल बम्बूरिया से दरियाफ्त करने पर परिवादी ने बताया कि श्री प्रकाश कुमार पटेल तहसीलदार साहब अब मुझसे रिश्वत राशि हेतु सम्पर्क नहीं करेंगे। उनके विरूद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही करावें। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। आईन्दा अग्रीम ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना नहीं होने से परिवादी श्री मुरारीलाल बम्बूरिया द्वारा दौराने फर्द पेशकशी प्रस्तुत ट्रेप राशि 500-500 रूपये के 200 नोट कुल 1,00,000 रूपये को मालखाना प्रभारी श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि से निकलवाकर जरिये फर्द सुपूर्दगी गवाहान के समक्ष परिवादी को सुपुर्द की गई। अग्रीम कार्यवाही हेतु पूर्व में तलबीशुदा गवाहान की तलबी हेतु जरिये दूरभाष सम्पर्क किया तो अवकाश में होने से दिनांक 12.12.2023 को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। परिवादी को दिनांक 12.12.2023 को ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया।

दिनांक 12.12.2023 को समय करीब 03.50 पीएम पर परिवादी श्री मुरारीलाल बम्बूरियां एवं पूर्व तलबीशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री तुलसीराम सालवी, कनिष्ठ सहायक एवं श्री मोहनलाल भील

कनिष्ठ सहायक निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर तलबीशुदा उपस्थित हुए। गवाहान को कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। परिवादी के समक्ष गवाहान को अब तक के हालात से अवगत कराया। तत्पश्चात् परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मालखाना प्रभारी से मालखाना से निकलवाकर उसमें लगा हुआ मैमोरी कार्ड जिसमें दिनांक 25.10.2023 को परिवादी श्री मुरारीलाल बम्बूरियां एवं आरोपी श्री प्रकाश कुमार पटेल तहसीलदार के मध्य दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को किंगस्टन कम्पनी 32 जीबी बरंग ब्लेक में रिकॉर्ड की गई। उक्त मैमारी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर से सुरक्षित निकालकर एक प्लास्टिक की डिब्बी रखवाकर डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर थैली पर परिवादी गवाहान के हस्ताक्षर कराये गये। फर्द पृथक से मुर्तिब कर परिवादी एवं गवाहान के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई। बाद कार्यवाही परिवादी श्री मुरारीलाल बम्बूरियां एवं स्वतंत्र गवाहान श्री तुलसीराम सालवी, कनिष्ठ सहायक एवं श्री मोहनलाल भील कनिष्ठ सहायक को बाद मुनासिब हिदायत के रूखसत किया गया।

इस प्रकार आरोपी श्री प्रकाश कुमार पटेल पुत्र श्री हंजारीराम, उम्र 27 वर्ष, निवासी समदडी, तहसील सिवाना, जिला बाडमेर हाल तहसीलदार, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री मुरारीलाल बम्बूरियां की जेसीबी नम्बर आरजे 27 ईए 3740 एवं आरजे 27 ईए 2995 जो कि दिनांक 24.10.2023 को माण्डवा गांव के पास कुआं खोद रही थी को अवैध खुदाई के आरोप में पकडकर पुलिस थाना माण्डवा में खडी करवाकर पुनः जेसीबी मशीनों को छोडने का आदेश करने एवं आईन्दा काम में रूकावट नहीं डालने की एवज में परिवादी से 1,50,000 रूपये रिश्वत की मांग करने पर परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 1,00,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना एवं ब्यूरो कार्यवाही की भनक लगने से परिवादी से उसकी मांग अनुसार 1,00,000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण नही करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री प्रकाश कुमार पटेल, तहसीलदार, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 1988 (संशाधित 2018) के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा।

अतः बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(रतनसिंह राजपुरोहित )
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
एसयू उदयपुर।

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. उदयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री प्रकाश कुमार पटेल पुत्र श्री हंजारीराम हाल तहसीलदार, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 313/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

28/12/23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 3185-88 दिनांक 28.12.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., उदयपुर।

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।